अधिसूचना नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2015

सं0 8/2015-सेवा कर

सा.का.नि. (अ).- केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 93 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. सं0 468(अ), तारीख 20 जून, 2012 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 26/2012-सेवा कर, तारीख 20 जून, 2012 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना की सारणी में,--

(i) क्रम सं. 2 के सामने स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

> "कराधेय सेवा प्रदान करने के लिए प्रयुक्त निवेश, पूंजी माल और निवेश सेवाओं पर सेनवेट प्रत्यय नियम, 2004 के उपबंधों के अधीन सेनवेट प्रत्यय नहीं लिया गया है" ;

(ii) क्रम सं. 3 के सामने स्तंभ (4) में "कुछ नहीं" प्रविष्टि के स्थान पर, "यथोक्त" प्रविष्टि रखा जाएगी;

(iii) क्रम सं. 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात् :-

"5	माल-असबाब सहित या उसके बिना वायुयान द्वारा, (i) इकॉनमी श्रेणी (ii) इकॉनमी श्रेणी से भिन्न, यात्रियों का परिवहन ।	 40 60	कराधेय सेवा प्रदान करने के लिए प्रयुक्त निवेश, पूंजी माल पर सेनवेट प्रत्यय नियम, 2004 के उपबंधों के अधीन सेनवेट प्रत्यय नहीं लिया गया है ।";

(iv) क्रम सं. 7 के सामने, स्तंभ (3) में, "25" प्रविष्टि के स्थान पर, "30" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) क्रम सं. 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(vi) क्रम सं. 10 के सामने, स्तंभ (3) में, "40" प्रविष्टि के स्थान पर, "30" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2015 से प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं. 334/5/2015-टीआरयू]

(अक्षय जोशी)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं0 26/2012-सेवा कर, तारीख 20 जून, 2012 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सा.का.नि. 468(अ) तारीख 20 जून, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 8/2014-सेवा कर, तारीख 11 जुलाई, 2014 द्वारा जो सा.का.नि. 477(अ) तारीख 11 जुलाई, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी, अंतिम बार संशोधित की गई थी ।